न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 08 / 2025

राजस्थान सरकार जरिये जगदीश प्रसाद शर्मा, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री वकील अहमद पुत्र श्री जलाल अहमद

जैन पण्डाल, लाखन कोटडी, अजमेर

निवासी 147 / 5 अन्दर कोट, झरनेश्वर मंदिर के पास, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 25.02.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.12.2024 को श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के आदेशानुसार अभियान तहत घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग / घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जाच दल में जगदीश प्रसाद शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक अजमेर शहरी क्षेत्र में वकील अहमद पुत्र श्री जलील अहमद जैन पण्डाल, लाखन कोटडी अजमेर पर पहुँचे । दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर लगा कर व्यवसायिक दुरूपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए । दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग कर कार्य में घरेलू सिलेण्डर दुरूपयोग करना पाया गया यह घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1)(सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर कालू खान प्रतिनिधि गुंलाब गैस एजेन्सी, अजमेर को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर विवरण निम्नानुसार पाया गया ।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	02 खाली नॉन मार्का छोट 5 किग्रा सिलेण्डर				

सिलेण्डर को श्री कालू खान गुलाब गैस एजेंसी अजमेर को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुर्पुदगी में दिए गए । प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

ए के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित । पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर पेरोकोर सरकार उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 28.12.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये 02 खाली नॉन मार्का छोटा 5 किग्रा गैस सिलेण्डर गैस सिलेण्डरों को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की मुझे जानकारी नही है। उपरोक्त गलती घरेलू सिलेण्डर को व्यवसायिक कार्य में लेने की दोबारा नही करूगा। अतः प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमने बहस पर मनन. किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया, प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 28.12.2024 के अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 02 खाली नॉन मार्का छोटा 5 किग्रा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी अजमेर उक्त सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर